भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †703

उत्तर देने की तारीख- 07/02/2022

परिवारा और तलवारा समुदायों को अ.ज.जा. सूची में जोड़ना

†703. श्री एस. मुनिस्वामी :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा परिवारा और तलवारा समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने वाले विधेयक में तनिक प्रक्रियागत चूक रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विधि और न्याय मंत्रालय ने इस तथ्य का स्वत: संज्ञान लिया है कि परिवारा और तलवारा समुदायों कि नामों को अ.ज.जा. सूची में जोड़ने के पूर्व उन्हें केंद्रीय अ.पि.व.सूची से हटाया जाना होगा और क्या उसने इस हेतु प्रक्रिया पूरी करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क करने का प्रयास किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या जनजातीय कार्य उक्त संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करने और परिवारा समुदाय सहित तलवारा समुदाय का नाम केंद्रीय अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के नवसृजित अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय से समन्वय करने का दायित्व लेगा?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में "परिवारा और तलवारा" समुदायों को 20.3.2020 को प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 [2020 का अधिनियम संख्या 4] के तहत शामिल किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति/सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

*****